कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर, पिन-844102)
ईमेल: deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

स्मार पत्र

सेवा में,

पत्रांकः 1277
दिनांकः 20/06/2026

सभी प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक,
राजकीयकृत उच्च / परियोजना बालिका / उत्क्रमित उच्च
माध्यमिक विद्यालय,
जिला- वैशाली।

विषयः **प्रबंध समिति गठन करने के संबंध में।**

प्रसंगः **इस कार्यालय का पत्रांक- 838, दिनांक- 28.04.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या- 389, दिनांक 03.03.2025 के आधार पर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन अनिवार्य रूप से किया जाना था। इस हेतु कार्यालय पत्रांक- 838, दिनांक 28.04.2026 द्वारा आप सभी को 7 दिनों के अंदर प्रबंध समिति का गठन कर प्रखंड कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

खेद का विषय है कि निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के पश्चात् भी अद्यतन आपके विद्यालय द्वारा प्रबंध समिति के गठन संबंधी प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह विभागीय आदेशों की अवहेलना और कार्यों के प्रति आपकी लापरवाही को दर्शाता है।

अतः आपको पुनः स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपने विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित करें तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराएं। निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में इसे गंभीरता से लेते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

20.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

20.06.26

ज्ञापांकः 1277

वैशाली, दिनांकः 20/06/2026

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित कराते हुए अद्यतन समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं)।

20.6.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

20.06.26